

दे०दून क्यु नं.....
निविदा फार्म का मूल्य रु० 500+GST@12% = 560रु०

नगर निगम देहरादून

नीचे लिखे कार्य के लिए सील बंद लिफाफों में निविदा दिनांक 01.03.2019 की अपराह्न 3:00 बजे तक पशुचिकित्सा अनुभाग, नगर निगम, देहरादून कार्यालय में जमा कर देना चाहिए जो कि उसी दिन सायं 4:00 बजे खोली जाएँगी।

कार्य का नाम—नगर निगम सीमान्तर्गत मृत पशुओं को उठाना एवं निस्तारित किया जाना।

क्र०सं०	कार्य का नाम	धनराशि
1.	वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु नगर निगम देहरादून सीमान्तर्गत मृत पशुओं को उठाने एवं निस्तारित करने का कार्य	

हस्ताक्षर निविदादाता

वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी
नगर निगम देहरादून

नगर निगम, देहरादून (पशुचिकित्सा अनुभाग)

नगर निगम, देहरादून सीमान्तर्गत मृत पशुओं के निस्तारण के लिए ठेके की शर्तें व नियम

1. निविदा सम्बन्धी जानकारी निगम के वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी कार्यालय में दिनांक 28.02.2019 को 10:00 बजे प्रातः से 5:00 बजे अपराह्न तक (रविवार एवं अवकाश के दिवस को छोड़कर) प्राप्त कर सकते हैं तथा कार्य के सम्बन्ध में कोई अन्य आवश्यक सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं। निविदा फार्म क्र्य किये जाने के उपरांत यह समझा जायेगा कि ठेकेदार ने कार्य के सम्बन्ध में सम्बन्धित समस्त जानकारी प्राप्त कर ली है। निविदाएँ दिनांक 01.03.2019 की शाम 3:00 बजे तक जमा करनी होंगी जो दिनांक 01.03.2019 को सांय 4:00 बजे खोली जाएंगी।
 2. निविदाओं पर निर्णय नगर आयुक्त द्वारा अथवा निगम द्वारा इस आशय से अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जायेगा। निविदा नोटिस में दिये गए निर्धारित समय पर निविदा खोली जाएंगी, यदि ठेकेदार चाहें तो निविदा खोलने के समय उपस्थित हो सकते हैं।
 3. निविदा सील बन्द मजबूत लिफाफों में भेजने आवश्यक हैं। लिफाफे पर "निविदा" शब्द लिखा जायेगा। बगैर सील बन्द निविदा निरस्त कर दी जायेगी। निविदा नगर आयुक्त, नगर निगम के नाम से प्रेषित की जायेगी। किसी अन्य अधिकारी के नाम निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
 4. किसी भी निविदा को स्वीकृत करने अथवा बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार निगम में निहित होगा। यह आवश्यक नहीं है कि न्यूनतम अथवा अन्य निविदा स्वीकार ही की जाय।
 5. नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून के लिखित अनुमोदन के बगैर ठेका मान्य नहीं होगा।
 6. निविदा में सम्मिलित होने हेतु व्यक्ति/संस्था/एनोजीओं ही पात्र होंगे, संस्था उत्तराखण्ड राज्य में पंजीकृत होनी अनिवार्य है।
 7. निविदादाता अपनी निविदा की स्वीकृति उपरांत निविदा की संपूर्ण धनराशि एक मुश्त नगर निगम में जमा करते हुए रसीद वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरांत ही कार्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
 8. निविदादाता पर नगर निगम की कोई देय निविदा तिथि तक शेष नहीं होनी चाहिए, इस आशय का स्व-प्रमाण पत्र निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
 9. निविदा दाता को निविदा राशि सुस्पष्ट पठनीय शब्दों व अंकों में अंकित करनी होगा।
 10. सफल निविदादाता द्वारा उक्तानुसार जमा की गई अग्रिम धनराशि को ही 100 प्रतिशत धरोहर राशि के रूप में माना जाएगा।
 11. इच्छुक व्यक्ति/संस्था/एनोजीओं को निविदा पत्र के साथ चरित्र प्रमाण पत्र तथा संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र आदि अभिलेख संलग्न करने अनिवार्य हैं।
 12. ठेकेदार को स्वीकृत ठेके की राशि का भुगतान 6–6 माह के अन्तराल में निगम कोष में अग्रिम जमा करना होगा जो अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एवं जनवरी के प्रथम सप्ताह में देय होगा।
 13. मृत पशु से तात्पर्य समस्त मृत जानवर जिसमें गाय, बैल, सांड, भैंस, भैंसा, घोड़ा, गधा, खच्चर, सुअर आदि से है।
 14. मृत पशु सूचना मिलने पर ठेकेदार को अधिकतम 5 घंटे के अन्दर मृत पशुओं को उठा लेना अनिवार्य होगा अन्यथा निगम की अन्य व्यवस्था से मृत पशु उठाने पर उसका व्यय शुल्क रुपये 1000/- प्रति की दर से ठेकेदार से वसूल कर लिया जायेगा।
 15. मृत पशु के शव को किसी नदी, तालाब तथा पानी के स्त्रोत आदि के स्थल/पाठशाला, आबादी से कम से कम 200 मीटर की दूरी पर दबाना होगा।
 16. संक्रामक रोग से पीड़ित मृत पशु की खाल/हड्डियां प्रयोग में नहीं लायी जायेंगी ऐसे पशु को बिना खाल निकाले जमीन में 4 फिट नीचे दबाया जायेगा।
 17. मृत पशु को इस प्रकार ढककर उठाकर ले जाया जाय कि राहगीरों को न दिखाई दें।
 18. किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर नगर निगम को अधिकार होगा कि वह ठेके को निरस्त कर दे।
 19. ठेकेदार मृत पशु शव निस्तारण स्थल की स्वयं व्यवस्था करेगा और निस्तारण स्थल उपलब्ध कराना नगर निगम का उत्तरदायित्व नहीं होगा।
 20. अतः सर्व साधारण एवं इच्छुक ठेकेदार को सूचित किया जाता है कि दिनांक 01.03.2019 की अपराह्न 3.00 बजे तक सील बन्द निविदा आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन सांय 4.00 बजे खोले जायेंगे। निविदा प्रपत्र एवं शर्त ₹ 500+GST@12%-560 ₹ 0 के नकद भुगतान पर वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी कार्यालय से दिनांक 28.02.2019 तक क्रय किये जा सकते हैं। निविदा के साथ ₹ 0 25000.00 की सी0डी0आर०/एफ0डी0आर० धरोहर के रूप में जो वरिष्ठ वित्त अधिकारी, नगर निगम, देहरादून के नाम बंधक हो संलग्न करना अनिवार्य है। निविदा सूचना नगर निगम देहरादून के वेबसाईट <http://nagarnigamdehradun.com> पर भी उपलब्ध रहेगी।
- उपरोक्त कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए विभाग द्वारा ठेकेदार को केवल एक बार ही सूचित किया जाना पर्याप्त होगा।

मैंने उपरोक्त नियमों एवं शर्तों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लिया है यदि यह निविदा स्वीकृत होती है तो मैं/हम उपरोक्त नियमों एवं शर्तों का पालन करते हुए निर्धारित अवधि में कार्य करने एवं भुगतान करने हेतु सहमत हूँ/हूँ। मैंने कार्य सम्बन्धी सभी विवरण देख लिये हैं व समस्त जानकारी प्राप्त कर ली है।

हस्ताक्षर ठेकेदार

नाम:

पता:

हस्ताक्षर

वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी,
नगर निगम, देहरादून।